कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांकः 3512 /वाद संख्या सी0–0194/एस–डोईवाला/2024 दिनांक 05 फरवरी, 2026

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

श्री विकास उनियाल, मो0 तौसिप एवं श्री मोटी कुड़कावाला निकट क्रेशर प्वाइंट डोईवाला में बिना स्वीकृति प्राप्त किये स्थल पर लगभग 15–20 बीघा भूमि पर प्लाटिंग, चिन्हिकरण आदि का अनाधिकृत कार्य किये जाने पर उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 सुसगत धाराओ का उल्लंधन किये जाने के कारण प्रकरण में वाद संख्या सी0–0194/एस–डोईवाला/2024 योजित किया गया हैं। प्राधिकरण द्वारा उक्त चालान शुदा अवैध निर्माण को दिनांक 27.01.2025 को ध्वस्त किया गया था। प्रश्नगत प्रकरण में विभिन्न स्त्रोतों से शिकायते प्राप्त हो रही है। स्थल का निरीक्षण कराया गया। विपक्षी द्वारा स्थल पर पुनः सी0सी0 सड़क का निर्माण एवं प्लॉटों के चिन्हिकरण का कार्य किया जा रहा है। स्थल पर किये गये सी0सी0 सड़क निर्माण एवं प्लॉटों के चिन्हिकरण कार्य को पुनः दिनाक 17/2/26को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु थानाध्यक्ष डोईवाला को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

पीठासीन अधिकारी/उपजिलाधिकारी,
डोईवाला, देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. नायब तहसीलदार डोईवाला, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थल पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करे।
2. थानाध्यक्ष डोईवाला को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्राधिकरण स्टॉफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) के साथ उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।
3. सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं/प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि में स्थल पर उपस्थित होकर अवैध निर्माण की ध्वस्तीकरण कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
4. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि में एक वाहन व एक जे0सी0बी0 मशीन ध्वस्तीकरण से संबंधित सामान संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. श्री विकास उनियाल, मो0 तौसिप एवं श्री मोटी कुडकावाला निकट क्रेशर प्वाइट डोईवाला को मौके पर उपस्थित रहे उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त किया जाना है। शेष शर्त पूर्व पत्रांक 1721 दिनांक 10.06.2024 के अनुसार मान्य होगा।

पीठासीन अधिकारी/उपजिलाधिकारी,
डोईवाला, देहरादून।